राजस्थान पत्रिका
3/10/2009

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

(Rajasthan Council of Elementary Education, Jaipur)

ब्लॉक 5, द्वितीय एवं तृतीय तल, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302017

क्रमांकः- राप्राशिप/ जय/ डाइस/ 2009-10/ 12717 दिनांक 29.09.09

"निर्देश"

1. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक [राजकीय/ गैर- राजकीय] विद्यालयों की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित करने का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
2. इसके अन्तर्गत 30 सितम्बर को आधार तिथि मानते हुए समस्त प्रकार के शैक्षिक डेटा का एकत्रीकरण वर्ष 2009 में भी किया जावेगा।
3. जिले के समस्त संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी प्रत्येक विद्यालय को डीसीएफ प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। संस्था प्रधान सीसीएफ प्रपत्र भरकर **01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2009** तक सीआरसीएफ को वापस उपलब्ध कराएंगे।
4. अतः समस्त राजकीय विद्यालय, निजी संस्था/ ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मदरसा अथवा अन्य विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाता है एवं जो राज्य एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, के संस्था प्रधानों से आग्रह है कि वे अपने विद्यालय का डीसीएफ प्रपत्र भरकर **10 अक्टूबर, 2009** तक सीआरसीएफ को उपलब्ध करावें।
5. किसी विद्यालय को डीसीएफ प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तो वे जिला शिक्षा अधिकारी [प्रा.शि.] अथवा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय से डीसीएफ की प्रति प्राप्त कर उसमें समस्त प्रविष्टि कर **10 अक्टूबर 2009** तक उनके कार्यालय में जमा करावें।

फोन: 0141-2705483 [फैक्स] 0141-5127284 **DIPR/C/7151/2009** **आयुक्त**